



2026:AHC:25699

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4558 सन् 2026

अजय पाल सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अपर आयुक्त न्यायिक प्रयागराज मंडल और 14 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : सुधीर कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय का सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक) प्रयागराज डिवीजन, प्रयागराज को निर्धारित अवधि के भीतर अपील संख्या 927 सन् 2021 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या C202110200000927) अजयपाल सिंह और अन्य बनाम दौलता और अन्य को निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देने के लिए की गई एकमात्र प्रार्थना है।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
5. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक) प्रयागराज डिवीजन, प्रयागराज को याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त मामले पर निर्णय लेने का, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दस महीने की अवधि के भीतर, कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"